प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मदर इण्डिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,
नन्द ग्राम गाजियाबाद ।

पत्रांक सं. शि.स./ 1380-85 /98-99 दिनांक 19-5-98

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक - 16-5-98 - - - मे लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस(7)89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 मे किये गये प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण करअस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नही करा ली जाती ।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को मिनिमम वेजज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3-विद्यालय मे छात्रो के चरित्र निमार्ण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशो का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4-समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5-शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियो का लेखा उचित रूप मे रखा जायेगा । भवनशुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप मे कोई भी धनराशि विद्यार्थियो से लिया जाना वर्जित होगा ।

6-मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहे होगे ।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।

कृ0 प0 उ0

8– विद्यालय मे [illegible] शिक्षा का माध्यम [illegible] होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जायेगी । विद्यालय मे [illegible] पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9– विद्यालय मे [illegible] प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10–विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11–विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12–विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13–विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओ पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14–विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15–विभागीय आदेशो/नियमो की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16–जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षो का निर्माण करायें ।

भवदीय,

18/5/98

सहायक शिक्षा निदेशक (बे.)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ० सं. शि.स./ ... / ... दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र०, इलाहाबाद।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद
3–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – गाजियाबाद – –
4–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी – – –गाजियाबाद –
5–शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र –गाजियाबाद –
6–क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – – – – – –
7– समाज कल्याण अधिकारी – – – – – – – –

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

हिन्दी माध्यम

मान्यता कोड संख्या– जे0टी0टी0–02

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक
मदर इण्डिया प0जू0हा0 स्कूल
जलालपुर शोभापुर रोड मुरादनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक / शि0स0 / मान्यता / 7271–73 / 2013–14 दिनांक– 18/11/2014

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 31.08.2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **मदर इण्डिया प0जू0हा0 स्कूल जलालपुर शोभापुर रोड मुरादनगर, गाजियाबाद** को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 की कार्यवाही में प्रदत्त सहमति के आधार पर अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधें का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
   - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नही किया जाएगा।
   - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
   - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 12220 वर्गमीटर कुल निर्मित क्षेत्र क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल है
कक्षाओं की संख्या 18 प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष 02
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 04 पेयजल सुविधा है
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम / संगठन या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय क लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0–02 है**। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाऐ।

भवदीय
19/11/14
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 / शि0सं0 / / 2013–14 तददिनांक–
प्रतिलिपि–निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी / विकास खण्ड / नगर क्षेत्र मुरादनगर
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

हिन्दी माध्यम

मान्यता कोड संख्या– प्राइमरी स्तर अ0–01

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक
मदर इण्डिया पब्लिक स्कूल,
मुरादनगर गाजियाबाद

पत्रांक / मान्यता / 1503–1505 / 2017–18 / दिनांक– 20/5/17

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **मदर इण्डिया पब्लिक स्कूल मुरादनगर गाजियाबाद** को तरीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 01 से कक्षा 5 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति व्यक्त सहमति के आधार पर अनतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों को पालने करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   iii. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
   iv. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजि नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–300 वर्गमी0 कुल निर्मित क्षेत्र–300 वर्ग मी0 कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–है
कक्षाओं की संख्या–05 कक्ष प्राधानाध्यपक कक्ष–1 सह–कार्यालय–1 सह–भांडागार के लिए कक्ष–01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–01 पेयजल सुविधा–है
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई –01 बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय क लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **प्राइमरी स्तर अ0–01** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाऐ।
19. विद्यालय में अर्ह व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय
20/05/17
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 / मान्यता / / 2017–18 / तदद्दिनांक–
प्रतिलिपि–निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरादनगर, गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।